संख्या-10/2017/975/एस.ची.उ.अनु.1/17-1000(45)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2017

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में **अनुदान संख्या-23 (सामान्य)** के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 1740 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग के पत्र संख्या-पी.ए./411सी./विकास /जिला योजना, दिनांक 21-8-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-23 (**सामान्य**) में प्राविधानित धनराशि रू0 17,40,00,000 (रू0 सत्रह करोड़ चालीस लाख मात्र) को, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रशासकीय अनुमोदन सहित, **संलग्नक** में जनपदवार/कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये लक्ष्य/फांट के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में बजट का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) के तथा शासनादेश संख्या-1533/52-3-2013-सा(30)/13, दिनांक 24 अगस्त, 2013 में अल्पसंख्यकों के लिये 20 प्रतिशत मात्राकृत किये जाने के निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-285/26-3-2014-3(15)/2007-टी.सी., दिनांक 03 मार्च, 2014 के अनुसार 17 पिछड़ी जातियों हेतु 7.5 प्रतिशत तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-24 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत

शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान, बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति (दिनांक 31.03.2018) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जायेगी।

5- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय नियमानुसार सक्षम स्तर की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

6- योजना में निहित राज्य/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/ वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

7- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

9- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-06- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/ दस-2017- 231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकःउपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2017/975(1)/एस.ची.उ.अनु.1/17-1000(45)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
7- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
8- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।
10- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
11- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
12- समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।
13- संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी , उ.प्र.।
14- समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,।
15- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
16- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
17- वन अनुभाग-1/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-10/2017 / 975/एस.ची.उ.अनु.-1/17-1000(45)/2017, दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-23 में (सामान्य) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कार्यक्रमवार/जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 7.50 प्रतिशत धनराशि अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकों हेतु 20 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि एवं वानिकी कार्य हेतु 0.50 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृत हेतु

(धनराशि रुपये में)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम		
		अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	42451	113203	407532	99887	266365	958915
2	मुजफ्फरनगर	71368	190315	685134	167928	447808	1612109
3	शामली	28711	76561	275621	67555	180148	648531
योग मण्डल		**142530**	**380079**	**1368287**	**335370**	**894321**	**3219555**
4	मेरठ	61211	163229	587623	144028	384074	1382667
5	बागपत	39666	105776	380795	93334	248890	896005
6	गाजियाबाद	9616	25642	92311	22626	60335	217206
7	हापुड़	11736	31297	112670	27616	73642	265110
8	बुलन्दशहर	25843	68914	248091	60806	162154	583753
योग मण्डल		**148072**	**394858**	**1421490**	**348410**	**929095**	**3344741**
9	मुरादाबाद	30651	81737	294252	72122	192325	692369
10	रामपुर	15024	40065	144234	35352	94272	339380
11	अमरोहा	37111	98962	356262	87321	232855	838279
12	सम्भल	18458	49229	177223	43438	115834	417003

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है